Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में आयकर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **एक अन्य सहआरोपी कनिष्ठ अभियन्ता मौके से फरार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 दिसम्बर/* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये पंकज कुमार चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मूल्यांकन शाखा, आयकर विभाग, जयपुर को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आयकर विभाग की कार्यवाही में उसकी सम्पत्ति का वैल्यूएशन कम करने की एवज में पंकज कुमार चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता एवं दिव्य प्रकाश मीणा कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मूल्यांकन शाखा, आयकर विभाग, जयपुर द्वारा 5 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी से बातचीत के बाद आरोपीगण 3 लाख रुपये रिश्वत के रूप में लेने को सहमत हुये।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये पंकज कुमार चौधरी पुत्र श्री गोपीराम चौधरी निवासी ग्राम धीरासर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुंनू हाल निवासी ए–113, महेश नगर, करतापुरा फाटक के पास, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, सी.पी.डब्ल्यू.डी. हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय मूल्यांकन शाखा, आयकर विभाग, जयपुर को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि सह आरोपी दिव्य प्रकाश मीणा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, सी.पी.डब्ल्यू.डी. हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय मूल्यांकन शाखा, आयकर विभाग, जयपुर ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।